तकनीकी निविदा प्रपत्र–2017–2018

प्रदर्शनी लगााने एवं प्रदर्श निर्माण

सेवा में,

संयुक्त कृषि निदेशक,
प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो,
9, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ।

1–निविदा का शुल्क रू0–600/–(रू0–छः सौ) मात्र।
2–निविदा का शुल्क जमा करने की तिथि व स्थान दि0–11.08.17 से 22.08.17 तक, अपरान्ह 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्यालय दिवसों में।
3–निविदा ऑनलाइन भरने की तिथि व समय–दि0–11.08.17 से 23.08.17 को अपरान्ह 12.30 बजे तक।
4–निविदा खोलने की तिथि व समय–दि0–23.08.17 को अपरान्ह अपरान्ह 2:00 बजे।
5–निविदा खोले जाने का स्थान–कम्प्यूटर कक्ष, कृषि भवन, लखनऊ।

महोदय,

समाचार पत्र में वर्ष 2017–2018 में आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों एवं प्रदर्शित किये जाने वाले प्रदर्श के माध्यम से प्रसार प्रचार हेतु निविदा सूचना प्रकाशित कराई गयी है। मैने उसे एवं आपके कार्यालय से नियम व शर्तो को लेकर भली भाँति अध्ययन कर लिया है। तदनुसार उन्हें स्वीकार करते हुये आपकी नियम एवं शर्तो के अधीन मै निविदा प्रपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

क्र0सं0	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जायेगा
1	निविदादाता/फर्म/कम्पनी का नाम	
2	पंजीकृत प्रमाण–पत्र	
3	पत्राचार का पता	
4	अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) के रूप में जमा बैंक ड्राफ्ट का नं0 एवं धनराशि	
5	निविदा सशर्त है या नहीं	
6	फर्म/कम्पनी के ब्लैक लिस्टेड न होने एवं उसके विरूद्ध आपराधिक मामला लम्बित न होने संबंधी शपथ–पत्र अपलोड है अथवा नहीं	
7	फर्म/कम्पनी के क्षेत्रीय कार्यालय का पता	
8	फर्म/कम्पनी का चालू खाता नम्बर व बैंक का नाम	
9	वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी पंजीयन संख्या (छायाप्रति अपलोड करें)	
10	सेवाकर विभाग द्वारा जारी पंजीयन सं0 (छायाप्रति अपलोड करें)	
11	श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन सं0 (छायाप्रति अपलोड करें)	
12	तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किए गए अभिलेखों की संख्या	

निविदादाता का डिजिटल हस्ताक्षर, नाम व फर्म का पूरा पता

प्रदर्शनी लगाने एवं प्रदर्श निर्माण विषयक शर्ते ::

1. निविदादाता की एक रजिस्टर्ड फर्म या कम्पनी होनी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किया जाए।
2. निविदा दो भाग में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में अपलोड किया जाए।
3. निविदादाता को अपनी फर्म/कम्पनी का रजिस्टर्ड पता अंकित करना होगा। सत्यापन के समय यदि फर्म/कम्पनी नही पायी गयी तो अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) पूर्ण–रूपेण जब्त कर ली जायेगी।
4. पंजीकृत फर्म/कम्पनी ही निविदा भरने के लिए अधिकृत होगें।
5. किसी भी दशा में निर्धारित तिथि दिनांक–11.08.17 से पूर्व व दिनांक–22.08.17 को अपरान्ह 06.00 बजे के बाद निविदा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण निविदाये निरस्त समझी जायेगी।
7. फर्म/कम्पनी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। निविदादाता के विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित नहीं होना चाहिए। यदि फर्म/कम्पनी के ब्लैकलिस्टेड होने या आपराधिक मामला लम्बित होने का प्रकरण निविदा खोलने के समय या बाद में संज्ञान में आता है, तो निविदा प्रपत्र निरस्त करने के साथ–साथ अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) जब्त कर ली जायेगी। रू0–100.00 के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर फर्म/कम्पनी के द्वारा उक्त के संबंध में शपथ–पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है ।
8. तकनीकी निविदा योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोले जायेंगे। वित्तीय निविदा खोलने की सूचना तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता को पत्र/दूरभाष के माध्यम से बाद में दी जायेगी।
9. स्वीकृत निविदा दिनांक–31–3–2018 तक मान्य होगी तथा विशेष परिस्थितियों में आगामी वित्तीय वर्ष में निविदा की स्वीकृत की तिथि तक मान्य होगी।
10. फर्म/कम्पनी का क्षेत्रीय कार्यालय व चालू खाता लखनऊ में होना अनिवार्य है।
11. आयकर की कटौती नियमानुसार बिल से की जायेगी।
12. वित्तीय निविदा में दर्शायी गयी दरें समस्त करों सहित मानी जायेंगी।
13. कार्य/सामग्री की आपूर्ति हेतु कोई भी अग्रिम भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। सभी आपूर्ति/कार्य बिल स्तर पर करना होगा। आपूर्ति/ कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. सफल निविदादाता को नियमानुसार नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष होगी।
15. वित्तीय निविदा में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा।
16. कृषि निदेशक,उत्तर प्रदेश के पास बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
17. किसी विवाद के मामले में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम होगा तथा न्यायिक क्षेत्र लखनऊ जनपद होगा।
18. क्रय आदेश प्राप्त होने पर मानक के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति 03 दिन के अन्दर करनी होगी।
19. समस्त सामग्री की आपूर्ति कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, प्रसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण ब्यूरो लखनऊ में (आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार का किराया/भाड़ा देय न होगा) करनी होगी।
20. तकनीकी निविदा के साथ अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) के रूप में रू0–60,000/(रू0–साठ हजार) का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो संयुक्त कृषि निदेशक, ब्यूरो,लखनऊ के पक्ष में तथा जनपद लखनऊ में देय हो, की छाया प्रति अपलोड करना अनिवार्य है तथा मूल प्रति एवं निविदा शुल्क की रसीद मूल रूप में एक लिफाफे में सील कर दिनांक–23.08.17 को अपरान्ह 02.00 बजे निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। उद्योग निदेशालय तथा एन0एस0आई0सी0 के साथ पंजीकृत लघु औद्योगिक ईकाइयों को अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी डिपाजिट) जमा करने से छूट रहेगा। उद्योग निदेशालय तथा एन0एस0आई0सी0 द्वारा निर्गत पंजीकरण की छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।

21. निविदा में भाग लेने वाले फर्म/कम्पनी द्वारा शुल्क की रसीद एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट लिफाफे में सील कर निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में उनके निविदा नहीं खोले जायेंगे।
22. सफल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेट जारी किया जायेगा। लेटर आफ इन्टेट जारी करने की तिथि से 15 दिन के भीतर सफल निविदादाता से निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का धरोहर धनराशि (सिक्योरिटी डिपाजिट) बैंक गारण्टी के रूप में जमा करना होगा। बैंक गारण्टी संयुक्त कृषि निदेशक,ब्यूरो, लखनऊ के पक्ष में होगा तथा 18 माह तक बैद्य होना चाहिए।
23. फर्म/कम्पनी को अपनी न्यूनतम दर का उल्लेख वित्तीय निविदा में यथा स्थान करना होगा।
24. निविदा की अवधि पूर्ण होने के छः माह बाद जमानती धनराशि (सिक्योरिटी डिपाजिट) वापस की जायेगी।
25. फर्म का सेवाकर विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं उसकी छाया प्रति तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
26. निविदा प्रपत्र में कोई कटिंग इत्यादि नहीं होनी चाहिए।
27. वित्तीय निविदा प्रपत्र में उल्लिखित धनराशि के अंकों एवं शब्दों में अन्तर होने की स्थिति में शब्दों में अंकित धनराशि मान्य होगी।
28. पूरी प्रदर्शनी अवधि चाहे वह जितने दिन के लिए हो, दरें वहीं रहेंगी। प्रदर्शनी की अवधि बढ़ने पर कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जायेगा। प्रदर्शनी की अवधि में फ्रन्टेज की मजबूती एवं रंगरोगन आदि की देखभाल का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित फर्म का होगा। किसी प्रकार की खराबी होने पर उसे तुरन्त ठीक करना होगा जिसके लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय न होगा। ऐसा न करने की दशा में कार्यक्षेत्र में उपलब्ध दूसरे ठेकेदार से कार्य कराया जा सकता है जिसकी प्रतिपूर्ति लम्बित बिल से अथवा जमानती धनराशि से कर ली जायेगी।
29. फ्रन्टेज के निर्माण का कार्य तथा पण्डाल की अन्य प्रदर्शनी का कार्य संयुक्त कृषि निदेशक,ब्यूरो,लखनऊ अथवा नामित व्यक्ति के निरीक्षण में करना होगा। डिजाइन में आंशिक संशोधन/परिवर्तन, स्थल की सामायिक आवश्यतानुसार करने का पूर्ण अधिकार प्रदर्शनी हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का होगा, जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय न होगा।
30. .आदेशित स्थल पर प्रदर्शनी लगाने हेतु प्रदर्शनी की सामग्री की ढुलाई के लिए ट्रक तथा मजदूर आदि की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। प्रदर्शनी अवधि में फर्म को दो कारीगर प्रदर्शनी स्थल पर रखना होगा, जिसका भुगतान फर्म को करना होगा।
31. प्रदर्शनी लगाने एवं पण्डाल लगाने की न्यूनतम दर का निर्धारण निविदा में दिए गए माप पर आंकलित करते हुए योग के आधार पर किया जायेगा।
32. प्रदर्शनी स्टाल के निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्री सफल निविदादाता को लगानी होगी। विभाग द्वारा केवल प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।
33. कार्य आदेश/आपूर्ति आदेश के अनुरूप न होने/ न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
34. तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियॉ आवश्यकतानुसार निविदा समिति परीक्षण कर सकती है।
35. निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0–600.00 होगा, जो वापस नहीं किया जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by MOHD ARIF SIDDIQUI
Date: 2017.08.11 14:20:51 IST
Location: Uttar Pradesh